"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6887/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(एक) "मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004).

(दो) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची.

धारा-2 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (नौ) का लोप किया जाये.

धारा-3 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाये :—

"(1) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जावेगी. विश्वविद्यालय उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जो कुलाधिपति, कुलपति की कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् के सदस्यों से मिलकर बनेगा और ऐसे समस्त व्यक्ति जो इसके पश्चात् उसके ऐसे अधिकारी या सदस्य बन गये हैं, ऐसे पद धारण करने या ऐसी सदस्यता धारण तक ऐसे पद पर बने रहेंगे."

धारा-10 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाये :—

"कुलाधिपति अपने पद के आधार पर मानद अधिकारी होगा और जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा."

धारा-11 का संशोधन. 6. (एक) मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (8) में शब्द "छ: माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" स्थापित किया जाये.

(दो) मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए,—

"परन्तु कुलाधिपति यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद, एक प्रशासनिक

विशेषज्ञ तथा एक वित्तीय विशेषज्ञ होगा जो कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी.''

7. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए,— धारा-12 का संशोधन.

''कुलपति की मृत्यु के कारण, उसके पद त्याग के कारण, छुट्टी, रुग्णता या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नाम-निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको की कोई कुलपति जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा-11 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, यथास्थिति अपना पदग्रहण या पुन: ग्रहण नहीं कर लेता है :—

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छ: मास से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रहेगा.''

8. (1) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाए,— धारा-13 का संशोधन.

''और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में महापरिषद् के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा'' एवं ''महापरिषद् का सदस्य तथा''

(2) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (9) में ''महापरिषद्'' को लोप किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (9) में शब्द ''छ: माह'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष'' स्थापित किया जाए.

9. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में शब्द ''महापरिषद्'' का लोप किया जाए. धारा-14 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 16 के खण्ड (एक) का लोप किया जाए. धारा-16 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 17 का लोप किया जाए. धारा-17 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाए. धारा-18 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाए. धारा-19 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 20 का लोप किया जाए. धारा-20 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 21 का लोप किया जाए. धारा-21 का संशोधन.

16. (1) मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) में ''विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विद्वान जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हो'' के स्थान पर ''विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित तीन विधायक'' स्थापित किया जाए. धारा-22 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) को लोप किया जाए.

17. (1) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) में ''और उन्हें महापरिषद् के समक्ष उसके विचारार्थ रखना'' के स्थान पर ''और उन्हें पारित करना'' स्थापित किया जाए. धारा-23 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (पांच) के उपखंड (क) का लोप किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (सत्रह) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्—

(क) (1) निवेश बाह्य अध्यापन तथा गवेषणा,

(2) विश्वविद्यालय विस्तार सम्बन्धी क्रियाकलाप,

(3) दूरस्थ शिक्षा.

(ख) (1) शारीरिक प्रशिक्षण,

(2) विद्यार्थी कल्याण,

(3) खेलों तथा व्यायाम सम्बन्धी क्रियाकलाप,

(4) समाज सेवी योजनायें,

(5) राष्ट्रीय कैडेट कोर.

धारा-24 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) में निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए :—

"चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी. समिति में कुलपति तथा उपधारा (1) के खण्ड (पांच) या (छः) में से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी."

धारा-29 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए ;

"प्राधिकरणों तथा समितियों के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों जिन्हें विहित किया जाए, के संदाय के लिए."

धारा-30 का संशोधन.

20. (1) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए :—

"विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जायेगी, जो कि 15 मास से अधिक न हो."

(2) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए :—

"संपरीक्षित लेखाओं की प्रति और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट कार्यपरिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी तथा उसे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा."

धारा-31 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए,—

"तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी."

धारा-40 का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) में शब्द "विषय में पांच विशेषज्ञों की विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई पैनल में से" का लोप किया जाए.

23. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (6) में शब्द "तकनीकी शिक्षा/जनसंपर्क" के स्थान पर शब्द "उच्च शिक्षा विभाग" स्थापित किया जाए. — धारा-42 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) में शब्द तथा अंक "धारा 11, 12, 21, 24, 34, 35 तथा 41 उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे." के स्थान पर शब्द "धारा 11, 22 तथा 25 के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे" स्थापित किया जाए. — धारा-43 का संशोधन.

25. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) में शब्द "सचिव, जनसम्पर्क" के स्थान पर शब्द "सचिव उच्च शिक्षा" स्थापित किया जाए. — धारा-49 का संशोधन.

26. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में शब्द "महापरिषद्" का लोप किया जाए. — धारा-51 का संशोधन.

27. मूल अधिनियम की धारा 55 का लोप किया जाए. — धारा-55 का संशोधन.

28. मूल अधिनियम की धारा 56 का लोप किया जाए. — धारा-56 का संशोधन.

अनुसूची
(धारा 43 देखिए)

कुलपति की नियुक्ति. 1. 11 कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह कुलाधिपति द्वारा उसी रीति में हटाया जा सकेगा.

कार्यपरिषद्. 2. 22 (1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(1)	कुलपति	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, जनसम्पर्क विभाग.	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग.	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग.	सदस्य
(5)	एक संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा.	सदस्य
(6)	कुलसचिव	सचिव

(2) कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों की पदावधि का विस्तार रहेगा. धारा 43 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि तक रहेगा.

(3) कार्यपरिषद् के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

विद्यापरिषद्. 3. 25 (1) विद्यापरिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् :—

(1)	कुलपति	अध्यक्ष
(2)	कुलसचिव	सचिव
(3)	विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के दो शिक्षक जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे.	सदस्य
(4)	एक शिक्षाविद् जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.	सदस्य

(2) विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की पदावधि का विस्तार धारा 43 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि तक रहेगा.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6887/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 15 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2005)

THE CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2005

An Act to amend the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-sixth year of the Republic of India is as follows :

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University (Amendment) Act, 2005.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definition.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—

(i) "Principal Act" means the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).

(ii) "Schedule" means Schedule appended to this Act.

Amendment of Section 2.

3. Clause (nine) of Section 2 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 3.

4. For sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted :—

"(1) University shall be established in the name of the Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya.

The University shall be corporate body which shall have the Kuladhipati and members of Executive council, academic council and all persons who may hereafter become such officers or members thereof so long as they continue to hold such office or membership".

Amendment of Section 10.

5. For sub-section (2) of Section 10 of the Principal Act, following sub-section shall be substituted, namely :—

"The Kuladhipati shall be an honorary officer by virtue of his office and shall, when present, preside the convocation of the University."

Amendment of Section 11.

6. (i) Sub-section (8) of Section 11 of the Principal Act, for words "Six months" the words "one year" shall be substituted.

(ii) After sub-section (8) of Section 11 of the Principal Act, the following proviso shall be added :—

"Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary or expedient to do so, appoint a Committee after consultation with the State Government consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to aid and advise the Kulpati in exercise of his powers and performance of functions".

Amendment of Section 12.

7. For sub-section (6) of Section 12 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted :—

"In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the

office of Kulpati by reason of his illness, leave, death, resignation or otherwise Dean of any faculty or the senior most Professor of the University teaching department nominated by the Kuladhipati in consultation with the State Government for that purpose shall act as Kulpati until the date on which Kulpati appointed under sub-section (1) or sub-section (7) of Section 11, enters, as the case may be, upon his office :

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months.

Amendment of Section 13.

8. (1) In sub-section (1) of Section 13 of the Principal Act, the following words shall be omitted :—

"And shall in the absence of the Kuladhipati preside at the meeting of the General Council" and "member of general council"

(2) Sub-section (9) of Section 13 of the Principal Act, the words "General Council" shall be omitted.

(3) In sub-section (9) of Section 13 of the Principal Act, for the words "six months" the words "one year" shall be substituted.

Amendment of Section 14.

9. In sub-section (1) of Section 14 of the Principal Act, the words "General Council" shall be omitted:

Amendment of Section 16.

10. Clause (one) of Section 16 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 17.

11. Sections 17 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 18.

12. Sections 18 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 19.

13. Sections 19 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 20.

14. Sections 20 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 21.

15. Sections 21 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 22.

16. (1) In Clause (three) of sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, for the words "two scholars related to Journalism nominated by the Speaker" the words "three members of the legislative assembly nominated by the speaker" shall be substituted.

(2) Clause (eight) of sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, shall be omitted.

Amendment of Section 23.

17. (1) In Clause (four) of Section 23 of the Principal Act, for the words "place before the General Council for its consideration" the words "to pass the same" shall be substituted.

(2) Sub-clause (a) of clause (five) of Section 23 of the Principal Act, shall be omitted.

(3) for Clause (seventeen) of Section 23 of the Principal Act, the following clause shall be substituted,—

"(a) (1) Extra mural teaching and research.

(2) University extension activities,

(3) Distance teaching.

(b) (1) Physical training,

(2) Students Welfare,

(3) Sports and Athletic activities,

(4) Social Service Schemes,

(5) National Cadet Corps."

18. In sub-section (4) of Section 24 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,— **Amendment of Section 24.**

"Four members shall form the quorum, out of the presence of Kulpati and one member either from clause (five) or (six) of sub-section (1) shall be essential in the committee".

19. For clause (f) of sub-section (1) of Section 29 of the Principal Act, the following clause shall be substituted,— **Amendment of Section 29.**

"the payment of travel and other allowances to the members of authorities and committees as may be prescribed."

20. (1) For sub-section (2) of Section 30 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,— **Amendment of Section 30.**

"The accounts of the University shall be audited atleast once in every year at intervals of not more than 15 months by the auditors of the Local Fund Audit of the State."

(2) For sub-section (4) of Sectoin 30 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,—

"A copy of the audited accounts together with the audit report shall be submitted by the Executive Council to the State Government and the same shall be laid on the table of the Legislative Assembly."

21. For sub-section (2) of section 31 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,— **Amendment of Section 31.**

"The prepared Annual Report shall be submitted to the Executive Council for approval."

22. In Clause (four) of sub-section (1) of section 40 of the Principal Act the words "from a panel submitted by the academic council of five experts in the subject" shall be omitted. **Amendment of Section 40.**

23. In sub-section (6) of Section 42 of the Principal Act, for the words "Technical Education/Public Relation" the words "Higher Education Department" shall be substituted. **Amendment of Section 42.**

24. In sub-section (1) of Section 43 of the Principal Act, for the words and figure "direct that the provisions of Sections 11, 12, 21, 24, 34, 35 and 41 shall as from the date specified in the Notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date) apply to the University." the words "direct that the provisions of Sections 11, 22 and 25 shall as from the date specified in the Notification (hereinafter in the section referred to as the appointed date), apply to the University subject to modification specified in the first Schedule appended to this Act" shall be substituted. **Amendment of Section 43.**

Amendment of Section 49.	25.	In clause (one) of sub-section (2) of Section 49 of the Principal Act, for the words "Secretary Public Relation" the words "Secretary Higher Education" shall be substituted.
Amendment of Section 51.	26.	In sub-section (1) of Section 51 of the Principal Act, the words "The General Council" shall be omitted.
Amendment of Section 55.	27.	Sections 55 of the Principal Act shall be omitted.
Amendment of Section 56.	28.	Sections 56 of the Principal Act ·ail be omitted.

SCHEDULE
(See Section 43)

1. 11 Kulpati shall be appointed by the Kuladhipati in consultation with the State Government and may be removed by the Kuladhipati in the like manner. — **Appointment of Kulpati.**

2. 22 (1) Subject to tne control of the State Government the Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of the following persons, namely :— — **Executive Council**

(1)	Kulpati	Chairman
(2)	Principal Secretary/Secretary Public Relations.	Member
(3)	Principal Secretary/Secretary Finance.	Member
(4)	Principal Secretary/Secretary Higher Education.	Member
(5)	One Dean of Faculty nominated by the Kuladhipati.	Member
(6)	Registrar	Secretary

(2) The terms of all members of the Executive Council shall be co-extensive with the period of operation of the Notification issued under Section 43.

(3) Three members of the Executive Council shall form a quorum.

3. 25 (1) The Academic Council shall be constituted of the following members, namely :— — **Academic Council**

(1)	Kulpati	Chairman
(2)	Registrar	Secretary
(3)	Two teachers of the University Teaching Departments nominated by the Kulpati.	Member
(4)	An Educationist nominated by the Kuladhipati.	Member

(2) The term of all member of the Academic Council shall be co-extensive with the period of operation of the notification issued under section 43.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.